न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– बलबीर सिंह, आर.ए.एस.

वादी :–
संतोषदेवी पत्नी गणपतलाल
उर्फ गणपतराम माली सा. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण:–
1. श्रवणराम पुत्र प्रभूराम माली
2. हरदीन पुत्र प्रभूराम माली
3. गोविन्द पुत्र प्रभूराम माली
4. सुखाराम पुत्र प्रभूराम माली
5. बंशीलाल पुत्र नारायण माली
6. प्रकाशचन्द पुत्र नारायण माली
7. कृपा शंकर पुत्र नारायण माली
8. कन्हैयालाल पुत्र नारायण माली
9. सुप्यारी पुत्री नारायण माली
10. सुगनीदेवी पत्नी नानूराम माली
निवासी सभी परबतसर
11. हनुमान खिलेरी पुत्र सुखाराम जाट
12. विक्रम खिलेरी पुत्र सुखाराम जाट
निवासी बीठवालियां तह. परबतसर
13. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत :– बंटवारा व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री तिलोक नाथ अधिवक्ता वादीनी
श्री राघव शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी 1 से 8 व 10

मुकदमां नम्बर :– 2019/00237 निर्णय दिनांक :– 12.02.24

निर्णय

1. वादीनी की ओर से अधिवक्ता श्री तिलोक नाथ ने यह वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2173, 2210, 2211, 2212, 2213, 2464, 2482 कुल रकबा 7.5117 हैक्टयर भूमि स्थित है। जिसमें वादीनी का हिस्सा वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 2464 में बी स्थान पर आया हुआ है वादीनी को यह कब्जा पूर्व खातेदार किशनाराम, शेषकरण व फुलादेवी व तारादेवी से प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार वादीनी मौके पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादीनी ने अपने हक हिस्से की भूमि को सुधार करवाना चाहती है लेकिन नक्शे में वादीनी का हिस्सा दर्शित नहीं है इस कारण बंटवारे का वाद पत्र आवश्यक हो गया। वादीनी ने प्रतिवादी 1 से 12 को बंटवारे के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने बंटवारा कराने से मना कर पिदा जिसके कारण यह वाद

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

पेदा हुआ है। वादीनी ने वाद पेश कर ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2464 में वाद के साथ प्रस्तुत परिशिष्ठ ''क'' में दर्शित ''ब'' भाग का खातेदार घोषित किया जाकर वादीनी के हक हिस्से की भूमि की अलग होल्डिंग कायम कर बंटवारा किये जाने की इस्तदुआ की है।

2. वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 30.12.2019 को प्रतिवादी 1 से 8 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने वकालतनामा पेश कर जबाब हेतु समय चाहे जाने पर समय दिया गया। प्रतिवादी 11, 12, 13 व 9 के सम्मन विधिवत रूप से तामील होकर प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। जिसमें बाद प्रतिवादी 1, 2, 3 व 10 की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि वादीनी ने खसरा नम्बर 2464 में से कुछ हिस्सा जरिये दान व विक्रय विलेख से खरीद किया है वादीनी ने नजरी नक्शे में अपनी मनमर्जी से अपना हक हिस्सा दर्शित किया गया जबकि वादीनी ने उक्त भूमि दो भागो में खरीद की है जिसका अपने तरीके से एक जगह होने का उल्लेख कर दिया गया। वादीनी ने सभी सह खातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया है जिससे सम्पूर्ण भूमि के बंटवारे का वाद निरस्त किये जाने योग्य है। वादीनी ने किशना के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा जरिये दान एवं स्वर्गीय नारायण के वारिसान में से स्वर्गीय भंवरलाल के वारिसान शेषकरण वगैराह से उनका हिस्सा जरिये विक्रय विलेख खरीद किया है जिनमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि जहां हम काबिज है वही वादीनी को कब्जा सुपुर्द किया है उसके उपरान्त वादीनी ने सम्पूर्ण भूमि एक स्थान पर बता कर झूठा वाद पेश किया है। बंटवारे का वाद सह खातेदारी ही ला सकते है जबकि वादीनी उपरोक्त भूमि में सह खातेदार नहीं है केवल मात्र विक्रय विलेख एवं दान से भूमि ग्रहण की है तथा अन्य खसरान की भूमि में वादीनी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। वादीनी का वाद न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तो अनुसार खारिज योग्य है। बकाया प्रतिवादी 4 से 8 की ओर से जबाब पेश नहीं करने व उनको बार – बार अवाज लगाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात वाद में निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विधिवत रूप से उभय पक्षकारो को सुनकर वाद दिनांक 06.07.2023 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार परबतसर को उभय पक्षकारो को विधिवत रूप से सूचित कर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार कुर्रेजात (बंटवारा प्रस्ताव) रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार परबतसर ने अपने पत्रांकः 2053 दिनांक 13.12.2023 को बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का आदर पूर्वक अध्ययन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 पेश की है जिसके अनुसार ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2173, 2210, 2211, 2212, 2213, 2464, 2482 कुल रकबा 7.5117 हैक्टयर भूमि में से खातेदार शेषकरण पुत्र भंवरलाल, फूलादेवी पत्नी भंवरलाल, तारादेवी पुत्री भंवरलाल माली का सम्पूर्ण हिस्सा क्रय किया है जिसके तहत जरिये नामान्तकरण संख्या 723 दिनांक 05.11.2019 तक तहत वादीनी 1/15 हिस्से की खातेदार दर्ज रिकार्ड हुई है इसी के साथ खातेदार किशना पुत्र लाला के 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा क्रय किया जिसके आधार पर वादीनी 1/6 हिस्से की खातेदार नामान्तकरण संख्या 724 दिनांक 05.11.2019 के तहत दर्ज हुई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादीनी उक्त विवादित आराजीयत में 7/30 हिस्से की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसको उसके हक हिस्से की भूमि का बंटवारा करवा कर अलग होल्डिंग कायम करवाने का कानूनी अधिकार है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार परबतसर द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव से होती है।

अतः वादीनी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2173, 2210, 2211, 2212, 2213, 2464, 2482 कुल रकबा 7.5117 हैक्टयर भूमि में वादीनी की खातेदारी में दर्ज 7/30 हिस्से का तहसीलदार परबतसर प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार अलग होल्डिंग कायम की जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवारा किया जाना घोषित किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव डिक्री का पार्ट रहेगा। नियमानुसार बंटवारा स्टाम्प पेश होने पर डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 12.02.24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलबीर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर